बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०-अ०सा०नि०/स्था०17-28/2018 /201 /पटना, दिनांकः- 11/07/23

कार्यालय आदेश

श्री अनुज कुमार, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक-सह-सहायक निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत), अकबरपुर, नवादा संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, काराकट प्रखंड, रोहतास के विरूद्ध सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार के पत्रांक-1223 दिनांक-07.06.2018 के साथ संलग्न जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक-403/पंचा० दिनांक-08.05.2018 द्वारा प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर गठित आरोप पत्र पर निदेशालय के का०आ०सं०-202 सहपठित ज्ञापांक-1096 दिनांक-24.06.2022 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के तहत श्री अनुज कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी । इस विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), नवादा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया तथा इस विषय के संबंध में जानकारी रखने वाले पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध जिला पदाधिकारी, नवादा से किया गया। समाहर्त्ता, नवादा का आदेश ज्ञापांक-1828/रा० दिनांक-17.08.2022 द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, अकबरपुर, नवादा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री अनुज कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में पंचायत आम चुनाव, 2016 में पुनर्मतगणना की संपूर्ण प्रक्रिया विधिवत् नहीं अपनाने, पुनर्मतगणना हेतु आवश्यक अभिलेखीय कार्रवाई एवं प्रपत्र के संधारण में चूक करने तथा सभी मतदान केन्द्रवार प्रपत्र-20 (भाग-1) में पुनर्मतगणना की विवरणी अंकित नहीं किये जाने तथा सभी मतदान केन्द्रों के मतों को एकमुश्त अभ्यर्थीवार गिनती कर प्रविष्टि करते हुए प्रपत्र-20 (भाग-2) तैयार करने, जो कि नियमानुकूल नहीं है, संबंधी आरोप लगाये गये हैं।

2. अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), नवादा के पत्रांक-484/रा० दिनांक-10.03.2023 द्वारा श्री अनुज कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में समर्पित संचालन प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी ने निम्न निष्कर्ष दिया है :-

" आरोप निर्वाचन कार्य को लेकर है एवं आरोपित कर्मी के मूल कर्त्तव्य को लेकर नहीं है। निश्चित रूप से विषयगत मामले में निर्दिष्ट सहायक निर्वाची पदाधिकारी के रूप में निर्धारित कर्त्तव्य के निर्वहन में आरोपित पदाधिकारी द्वारा चूक हुई है। समरूप मामले में निर्दिष्ट निर्वाची पदाधिकारी को उनके विभाग द्वारा विभागीय कार्यवाही में आरोप मुक्त कर दिया जाना इस मामले में भी आरोप मुक्ति का आधार नहीं हो सकता है।

0466 स्था० 1 (का०आ०) (05 जुलाई,23) अनुज कुमार

अधिगम एवं मंतव्यः— गठित आरोप, आरोपित पदाधिकारी के बचाव एवं साक्ष्य, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के मंतव्य से स्पष्ट है कि आरोपित कर्मी द्वारा कर्त्तव्य निर्वहन में चूक हुई है। आरोपित कर्मी का लिखित बचाव स्वीकारोक्ति समरूप है। अतः आरोपों को आरोपित कर्मी के विरूद्ध आंशिक रूप से प्रमाणित माना जाएगा।''

3. अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), नवादा–सह–संचालन पदाधिकारी से प्राप्त संचालन प्रतिवेदन कि ' आरोपों को आरोपित करने के विरूद्ध आंशिक रूप से प्रमाणित माना जाएगा ' पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एंव अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(3) में किये गये प्रावधान के तहत श्री अनुज कुमार से अभ्यावेदन प्राप्त किया गया। श्री कुमार ने समर्पित अपने अभ्यावेदन में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया है :–

(i) ग्राम पंचायत आम निर्वाचन, 2016 के तहत मतगणना कार्य हेतु सहायक निर्वाची पदाधिकारी के रूप में उनकी प्रतिनियुक्ति नवादा सदर प्रखंड में हुई थी।

(ii) निर्वाची पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी के निदेशानुसार सभी मतदान केन्द्रों के मतों को एकमुश्त अभ्यर्थीवार गिनती कर प्रविष्टि करते हुए प्रपत्र –20 तैयार किया गया था।

(iii) श्री कुमार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग का पत्र संलग्न करते हुए कहा गया है कि इसी आरोप में सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्वाची पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी का मानवीय भूल मानते हुए उन्हें सरकारी कार्यो के निष्पादन में भविष्य में सचेष्ट रहने का निदेश देते हुए आरोप मुक्त किया गया है। उनके द्वारा केवल और केवल अपने नियंत्री पदाधिकारी(निर्वाची पदाधिकारी) के निदेशों का अनुपालन किया गया है और यह किसी भी दृष्टिकोण से कर्त्तव्यहीनता/लापरवाही की श्रेणी में नहीं आता है।

(iv) श्री कुमार ने कहा है कि मतगणना में निर्वाची पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी के संपूर्ण नियंत्रण एवं उनके द्वारा दिये गये आदेशों के अनुरुप पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन किया है।

(v) निर्वाची पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा संबंधित मतगणना पर्यवेक्षक एवं मतगणना कर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु जिला पदाधिकारी, नवादा को प्रतिवेदित किया गया है। इसमें उनका कोई दोष नहीं है और वे पूरी निष्ठा के साथ नियंत्री पदाधिकारी(निर्वाची पदाधिकारी) के निदेशों का अनुपालन करते हुए अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन किये हैं

4. श्री कुमार द्वारा समर्पित अपने अभ्यावेदन में उन्ही बातों का उल्लेख किया गया है, जो इनके द्वारा संचालन पदाधिकारी को समर्पित अपने स्पष्टीकरण में किया गया है।

श्री कुमार के विरूद्ध पंचायत आम चुनाव, 2016 में पुनर्मतगणना की संपूर्ण प्रक्रिया विधिवत् नहीं अपनाने, पुनर्मतगणना हेतु आवश्यक अभिलेखीय कार्रवाई एवं प्रपत्र के संधारण में चूक

करने तथा सभी मतदान केन्द्रवार प्रपत्र–20 (भाग–1) में पुनर्मतगणना की विवरणी अंकित नहीं किये जाने तथा सभी मतदान केन्द्रों के मतों को एकमुस्त अभ्यर्थीवार गिनती कर प्रविष्टि करते हुए प्रपत्र–20 (भाग–2) तैयार करने, जो कि नियमानुकूल नहीं है, संबंधी आरोप गठित किये गये हैं जिसे संचालन पदाधिकारी द्वारा आंशिक रूप से प्रमाणित माना गया है।

5. अतः संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एंव अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(i) में किये गये प्रावधान के तहत श्री अनुज कुमार, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक–सह–सहायक निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत), अकबरपुर, नवादा संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, काराकाट (रोहतास) पर निन्दन की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

ह०/–
(संजय कुमार पंसारी)
निदेशक

ज्ञापांकः– अ०सां०नि०/स्था०17–28/2018/1208 /पटना, दिनांकः– 11/07/23

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–1223 दिनांक–07.06.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, नवादा को उनके पत्रांक–403/पंचा० दिनांक–08.05.2018 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. जिला पदाधिकारी, रोहतास(सासाराम) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. उप निदेशक (सां०), मगध प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, नवादा/रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. प्रखंड विकास पदाधिकारी, काराकाट प्रखंड, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
8. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
9. श्री अनुज कुमार, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, काराकट प्रखंड, रोहतास को सूचनार्थ प्रेषित।

10/7/23
निदेशक

0466 स्था०1 (का०आ०) (05 जुलाई,23) अनुज कुमार